

दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22/5/24	<p>पत्रावली पेश की। दस्तावेजों का फोटोलेवelling कार्य करके के कार्ड प्रार्थी पक्ष की ओर सौंपा। पत्रावली दिनांक 23/04/24 पेश की</p>	
23/05/24	<p>पत्रावली पेश। वकील प्राथीया उषा बावजूद सम्बन्धित ताम्बीर हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी स. 2 ग 22 के विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई गई प्रकरण में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट भेजित होकर शामिल पत्रावली है।</p> <p>प्रकरण पर बहस प्राथीया अधिवक्ता की सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध - दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्राथीया अधिवक्ता की बहस पर अनग पश्चात प्राथीया पर CR 187 128 प्राथीया स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ 2 से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से का खेपर दाखिल दफतर है।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 06/05/24 के सुबे न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बरसी, जयपुर

(पीठाधीन अधिकारी ओग प्रकाश भीना BAS)

प्रकरण संख्या :- 206 / 2024 जी सी एम एस, संख्या :- 2024 / 239

शुभ आशुवात  
पक्ष का पुरा

वनाम  
जयपुर।

--प्रार्थीक--

1. कलकान्त शरदार औरिधे तहसीलदार तृणा तहसील तृणा जिला जयपुर।
2. अर्जुन पुर गोविन्दा
3. कान्तकान्त पुर लक्ष्मीनारायण
4. कैलाश पुर मूलवन्द
5. करारी पत्नी स्व0 रामकिशोर
6. गंगासहाय पुर गोविन्दा
7. गणपतलाल पुर रामप्रताप
8. गणपतलाल पुर मूलवन्द
9. नन्दापति पत्नी स्व0 मूलवन्द
10. जगदीश पुर काना
11. दर्शनारायण पुर ध्यानाथ
12. ब्रह्मलाल पुर मूलवन्द
13. ब्रह्मलाल पुर काना
14. रामचन्द्र पुर गोविन्दा
15. रामचन्द्र पुर मूलवन्द
16. श्रीरैलाल पुर मूलवन्द
17. राधेश्याम पुर रामप्रताप
18. रामकल्याण पुर मूलवन्द
19. रामजीलाल पुर मूलवन्द
20. रामेश्वर पुर रामकिशोर
21. रामावतार पुर लक्ष्मीनारायण
22. हनुमान पुर रामकिशोर
23. हरिनारायण पुर काना
24. शमरा जाति हरिश्यामा ब्राह्मण निवासी ग्राम राजपुरा पातलवास तहसील तृणा जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 यू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित-श्री रमेशचन्द्र शर्मा, एड0-प्रार्थीया।

--निर्णय--

दिनांक 06/06/2025

--अप्रार्थीक--

अज्ञ यह पत्रावली धारते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीया की कब्जे कासल एवं खातेदारी भूमि वर्तमान खाला संख्या 277 खसरा नम्बर 176 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.4700 है0, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.5400 है0, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.1300 है0 कुल रकबा 1.3700 है0 बाके ग्राम राजपुरा पातलवास पटवार हल्का 282 कुल रकबा 0.1300 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.3700 है0 बाके ग्राम राजपुरा पातलवास पटवार हल्का राजपुरा पातलवास तहसील तृणा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीया के कब्जे कारत की भूमि का तहसीलदार तृणा के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 01.07.2024 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाता करवाना चाहते है। शतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया की कब्जे कारत व खातेदारी भूमि खाला संख्या 277 खसरा नम्बर 176 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.4700 है0, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.5400 है0, खसरा नम्बर 287 कुल रकबा 0.1300 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.3700 है0 बाके ग्राम राजपुरा पातलवास पटवार हल्का राजपुरा पातलवास तहसील तृणा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीया के कब्जे कारत की भूमि का तहसीलदार तृणा जिला जयपुर की दिनांक 01/07/2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाता पत्थरगढी किसे जाने का निवेदन किया।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा  
प्रार्थीक (जयपुर)

शुद्ध सचिवर क्रिया जावर आर्थात्पण को जरिसे साधारण/शुद्ध आक एकी चलन क्रिया पत्रा।  
शुद्ध सचिवर क्रिया जावर आर्थात्पण को जरिसे साधारण/शुद्ध आक एकी चलन क्रिया पत्रा।  
शुद्ध सचिवर क्रिया जावर आर्थात्पण को जरिसे साधारण/शुद्ध आक एकी चलन क्रिया पत्रा।  
शुद्ध सचिवर क्रिया जावर आर्थात्पण को जरिसे साधारण/शुद्ध आक एकी चलन क्रिया पत्रा।  
शुद्ध सचिवर क्रिया जावर आर्थात्पण को जरिसे साधारण/शुद्ध आक एकी चलन क्रिया पत्रा।  
शुद्ध सचिवर क्रिया जावर आर्थात्पण को जरिसे साधारण/शुद्ध आक एकी चलन क्रिया पत्रा।  
शुद्ध सचिवर क्रिया जावर आर्थात्पण को जरिसे साधारण/शुद्ध आक एकी चलन क्रिया पत्रा।  
शुद्ध सचिवर क्रिया जावर आर्थात्पण को जरिसे साधारण/शुद्ध आक एकी चलन क्रिया पत्रा।  
शुद्ध सचिवर क्रिया जावर आर्थात्पण को जरिसे साधारण/शुद्ध आक एकी चलन क्रिया पत्रा।  
शुद्ध सचिवर क्रिया जावर आर्थात्पण को जरिसे साधारण/शुद्ध आक एकी चलन क्रिया पत्रा।

अधिका प्रार्थिया की बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौरान  
पुरे प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 01.07.2024 के अनुसार पट्टरवादी  
के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थिया अधिका ने मुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 खादा  
संख्या 277 खसरा नम्बर 176 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.4700 है0, खसरा नम्बर 284  
रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.5400 है0, खसरा नम्बर 287 कुल रकबा 0.1300 है0 कुल किरा  
5 कुल रकबा 1.3700 है0 वाके ग्राम राजपुरा पाललवास पट्टार हल्का राजपुरा पाललवास तहसील तूंगा जिला  
जयपुर की नकल पेश की।

1 बहस अधिका प्रार्थिया पर मानन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत्  
2074 से 2077 खादा संख्या 277 खसरा नम्बर 176 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.4700 है0,  
खसरा नम्बर 284 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.5400 है0, खसरा नम्बर 287 कुल रकबा 0.  
1300 है0 कुल किरा 5 कुल रकबा 1.3700 है0 वाके ग्राम राजपुरा पाललवास पट्टार हल्का राजपुरा पाललवास  
तहसील तूंगा जिला जयपुर के अंकित इन्माज के अनुसार आराजी विचारित प्रार्थिया की खातेदारी की आराजी  
होना साबित है। साथ ही चलन रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 01.07.2024 व तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा दिनांक  
21.04.2025 पेश रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थिया साबित है कि प्रार्थिया द्वारा तहसीलदार तूंगा के माध्यम से  
हल्का पट्टारी से दिनांक 01.07.2024 को विचारित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्मा इरा  
प्रकार है कि :- Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute  
concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible,  
on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not  
available, on the basis of actual possession.  
(2) If in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer shall  
to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession  
obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months  
previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession  
Shall then fix the boundary accordingly-  
Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning boundaries shall be decided by the land



Records Officer in the manner laid down in section 111.  
उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थिया द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान  
करवाया जा चुका है। इसलिये प्रार्थिया को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पट्टरवादी के आदेश जारी किया  
जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

- प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अन्तर्गत धारा 128 यू-राजपुर अधिनियम 1956 धारा संख्या 277
- खसरा नम्बर 176 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.4700 है0, खसरा नम्बर
- 284 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.5400 है0, खसरा नम्बर 287 कुल
- रकबा 0.1300 है0 कुल किरा 5 कुल रकबा 1.3700 है0 वाके ग्राम राजपुरा पाललवास
- पट्टार हल्का राजपुरा पाललवास तहसील तूंगा जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है।

शुद्ध सचिवर क्रिया जावर आर्थात्पण को जरिसे साधारण/शुद्ध आक एकी चलन क्रिया पत्रा।

तहसीलदार तूंगा को आदेश जारी किये जाते हैं कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थीया के  
खर्च पर पत्रकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैनाईश कर कास 111 में वर्णित  
प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2024 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित  
मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की  
संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौके पर कानून व्यवस्थाई पुलिस जासा की  
आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस धाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय  
हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार परखरगढी कथाने की कार्रवाही करें। वहां यह  
स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश  
की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया  
जावें। तहसीलदार तूंगा को पालना हेतु निर्णय प्रति निजवाई जावें।

इस निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली  
कर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(श्रीम प्रकाश नाना RAS)  
उपखण्ड अधिकारी बस्ती  
जिला जयपुर

